

FORME -I
(For projects other than linear project)

Government of Uttarakhand
No. -----

Office of District Collector Tehri Garhwal
Date

TO WHO WSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Ty. Division P.W.D Thatyur T.G. (name of user agency) for construction of **Bharwakatal to Shripur Motor road** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of **Bharwakatal, Shripur Village(s)** in Dhanolty, Tehsils.

It is further certified that :


- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.975 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committee(s), gram Sabha(s) Sub - Division level committee are enclosed as annexure ----- to ---- annexure-----
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grams Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.


Euci: As above



(इन्दुधर चौडारी)
District Collector (Cum) Chairman
जिला अधिकारी
Tehri Garhwal
New Tehri

It is Further certified that Minutes fo mee **Bharwakatal to Shripur Motor road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2.975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


जिलाधिकारी
सदर कार्यालय
टिहरी गढ़वाल
दिनांक 10/01/2024


समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।


जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

**OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND**

**PROCEEDING OF THE MEETING OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE
CONSTITUTED UNDER SCHEDULE TRIBES & OTHER TRADITIONAL FORES
DWELLERS (RECOGNITION OF RIGHTS) ACT (FRA) 2006**

A meeting of the district level committee Tehri Garhwal district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Jyoti Neeraj Khairwal I.A.S. District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring 2.975 Hectare for the construction of Bharwakatal To Shripur Motor Road in Tehsil Dhanaulti of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

(हनुमन्त बोर्डर)
District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत
भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण -पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धनोली

तहसील धनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण (2.975 है० आरक्षित वनभूमि 1.3125 है०, सिविल सोयम भूमि 1.662 है० कुल भूमि 2.975) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोली) के 26-11-2015 दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री के० पी० वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4.	श्रीमती सीता देवी वैद्य	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.975 है० वनभूमि 1.3125 है० सिविल सोयम भूमि 1.662 है० कुल भूमि 2.975) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

(2)

जानकारी कसे माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्ती परिक्षेत्र के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 है० वनभूमि लो०नि०वि० थयूड प्रयोक्ता एजेंन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्ती
जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु।

मीना देवी
श्रीमती मीना देवी पंवार
राजस्थान ग्राम पंचायत भरवाकाटल
पिन-241000 जीनपुर दि०ग०

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्ती
जनपद टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत
भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- भरवाकाटल
तहसील :- धनोली, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 है० आरक्षित वन भूमि 1.3125 है० सिविल सोयम भूमि 1.662 है० वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 2.975 है० वनभूमि का लो०नि०वि०, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भरवाकाटल द्वारा दिनांक 18-5-15 को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिवासी अभियन्ता लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

लोहन दास चण्डा सिंह सैफन

भवान सिंह भवनाहि

हिरा सिंह Hsml

राम दयाल

डिपेश्वर मिश्रा डिपेश्वर

